

16-5-23 पत्रावली केम्प... को पेश हुई।  
आगामी दिनांक... को पेश हो।

21-7-23 उपर्युक्त उपाधिकारी राजकीय  
कार्य से बाहर हैं। पदरिक्त है।  
अतः पत्रावली दिनांक 18-8-23 को पेश हो।

रीडर  
उपखण्ड अधिकारी, मण्डल

18-8-23 पत्रावली पेश हुई, प्रार्थिया स्वयं उपस्थित, प्रार्थिया  
से एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि उक्त  
प्रकरण में आगे में कोई कार्यवाही नहीं चाहती हूँ।  
और न ही माँके पर रास्ते हेतु विवाद रहा है इसलिए  
उक्त प्रकरण को इसी स्तर पर स्वारीज करवाया जाये।  
प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थिया द्वारा  
मस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया। न्यायक्षेत्र में  
प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा  
प्रार्थिया द्वारा उक्त प्रकरण में अब आगे कोई कार्यवाही  
नहीं चाहने से प्रकरण इसी स्तर पर स्वारीज किया  
जाता है। पत्रावली कैसल शुभमर होकर दफ्तर दाखिल  
है।

उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलपाड़ा

